तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
21/8/24	पत्रावली पेश हुई। वकील पक्षकारान हाजिर। प्रतिवादी वकील ने प्रार्थना पत्र आदेश 7 नियम 11 धारा 151 CPC में अंकित तथ्यों का दोहरान करते हुए निवेदन किया कि वादी ने वाद खसरा नं. 565/5 व 565/8 वाकै ग्राम इटावा तहसील निवाई का वाद स्थाई निषेधाज्ञा का पेश किया है, उक्त भूमि के सम्बन्ध में भवानी देवनारायण बनाम जयनारायण मु.नं. 47/2010 दावा बाबत तकसीम वजरिये कुर्रा तकसीम एवं स्थाई निषेधाज्ञा में दोनों पक्षकारों के बीच राजीनामा हो चुका है। और न्यायालय द्वारा दिनांक 16/7/18 को आज्ञप्ति वाद में खसरा नं. 565/5, 565/8, में किसी प्रकार की बाधा मदाखलत नहीं करेंगे और तहसीलदार निवाई को नियमानुसार कमीशन फीस जमा करवाकर सीमाज्ञान के आदेश किये थे। इसी प्रकार हजारी बनाम हीरालाल प्रकरण 58/18 में भी दिनांक 16/7/18 को न्यायालय द्वारा इसी प्रकार के आदेश किये थे, जिनकी पालना में भू-अभिलेख द्वारा अपनी जमीन की सीमाज्ञान करवा रहा था। इसी दौरान वादी ने न्यायालय से तथ्य छिपाकर उक्त वाद पेश कर दिया जो चलने योग्य नहीं है। एक और वाद 64/17 देवनारायण बनाम हजारी भी न्यायालय द्वारा निस्तारित किया जा चुका है। उक्त भूमि के सम्बन्ध में पूर्व में दावा पेश होने व निस्तारण होने से विबन्ध के सिद्धांत लागू होते हैं व CPC के धारा 10 व 11 के सिद्धांत भी लागू होते हैं। इसलिए उक्त प्रार्थना पत्र किसी भी स्थिति में चलने योग्य नहीं है। खारिज किये जाने के योग्य है।	

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल जज
	को पत्रावली 29/7/19 के आदेश दिनांक 15/10/19 को न्यायालय के आदेश की की तामील प्रतिवादी को तहसीलदार निवाई ने रिपोर्ट पालना के तहसीलदार ने उक्त भूमि की नाप चौथ [illegible] 21/10/19 को कर दी। लेकिन वादी द्वारा मौके पर [illegible] कर [illegible] उक्त स्थगन आदेश पारित किया तथा दिखाते हुए आदेश की पालना नहीं हो सकी। जिससे उक्त आदेश की [illegible] दिनांक 1/12 [illegible] हो गई है। प्रार्थी व अप्रार्थी के [illegible] मिथ्या के आधार पर प्रमाण अप्रार्थी का [illegible] उक्त वाद को अवमानना में रखने हेतु पेश [illegible] उक्त [illegible] स्वीकार योग्य है। किया गया जो अप्रार्थीगण के अधिवक्ता ने दौरान बहस जवाब प्रार्थना में अंकित तथ्यों को दोहराते करते हुए निवेदन किया था। वाद विवादित भूमि के सम्बन्ध में पक्षकारों के मध्य हुए में राजीनामे के आधार पर निस्तारित हुआ था व केवल पत्रावली से [illegible] था। परन्तु प्रतिवादीगण उक्त आदेश की आड़ में वादी व कब्जे काश्त की भूमि पर वादी शुरू कर दी आवेदन व [illegible] से आज भी दाखिल चले आ रहे) को अपनी बताकर मौके से पत्रावली की आड़ में बेदखल व कब्जा करने पर आमादा है वादी सीधे सादे काश्तकार है प्रतिवादी ने राजस्व अधिकारियों से मिलीभगत कर कूटरचित तरमीम कराई है। उक्त नक्शा शीट की तरमीम में दुरुस्ती बाबत स्वयं न्यायालय उपखण्ड अधिकारी निवाई न्यायालय में देवनारायण [illegible] के नाम से जेरकार है। वास्ते न्यायालय के वादी को [illegible] पत्रावली की आड़ [illegible] को बेदखल नहीं किया 183 रा.का. [illegible] अवमानना में वादी को वाद दायर [illegible] तथा बेदखल किया जाना आवश्यक

Scanned with OKEN Scanner

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	किन्तु प्रतिवादीगण पक्षकारी की ओर से वादी के दावे में संशोधन करने पर आपत्ति दर्ज कराई गई तथा वाद का वादकारण प्राप्त होने पर वाद स्वामी निस्तारण से आवेदन पत्र संग पेश किया। स्पष्ट है कि उक्त वाद में उक्त वर्णित वाद के मुख्य बिन्दु आदेश 2 में पक्षकार व नक्शा मुख्य बिन्दु नक्शा सीट का उक्त दुरुस्ती हुए बिना प्रतिवादीगण को कोई अपनी विधिक जानकारी प्राप्त हो। ऐसी स्थिति में प्रतिवादीगण का उक्त प्रार्थना पत्र खारिज किये जाने योग्य धारा 10 व 11 के सिद्धांत में उक्त आवेदन पर जो वाद निस्तारित होता है और पर लागू होते हैं। प्रस्तुत वाद में जो विवाद का मुख्य बिन्दु है वो अभी तय नहीं है प्रतिवादीगण को सीमांकन व पक्षकारी वाद में पूर्व नक्शा सीट में दुरुस्ती कराना चाहते दुरुस्ती होना आवश्यक प्रतिवादीगण वर्तमान में नक्शा सीट में दुरुस्ती किये बिना ही गलत नक्शा सीट के आधार पर पक्षकारी व सीमांकन कराना चाहते हैं जो अवैध है इसलिए प्रतिवादीगण/वादीगण को निर्णय होना आवश्यक है। प्रतिवादीगण द्वारा दिये के बावजूद वादी के कब्जे दाखिल के दुरुस्ती तरमीम का आवेदन में प्रमाण उद्धृत जवाब संशोधन करने पर आपत्ति देते के कारण वाद प्रस्तुत किया जाना आवश्यक ऐसी स्थिति में उक्त प्रार्थना पत्र योग्य नहीं है। ऐसी स्थिति में प्रतिवादीगण का प्रार्थना पत्र 07-नियम 11 धारा 101 खारिज किया जाता है। [signature]	

हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
प्रा0 प0 O-7-R-11 धारा 151 CPC की विद्वान अधिवक्ता द्वारा की गई बहस को सम्पूर्ण पत्रावली से मिलान मात्र किया गया। प्रार्थना पत्र व संलग्न दस्तावेजात का अवलोकन किया गया। प्रार्थना पत्र O-7-R-11 स्वीकार किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है अतः प्रार्थना पत्र O-7-R-11 धारा 151 CPC स्वीकार किया जाता है तथा वादी का वाद प्रार्थना पत्र O-7-R-11 धारा 151 स्वीकार होने के कारण खारिज किया जाता है। पत्रावली फैसल होकर बाद नियम से काम के जाकर आखिर हवालात हो।	